



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23102024-258183
CG-MH-E-23102024-258183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4253]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946

No. 4253]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेल)

अधिसूचना

मुंबई, 21 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4627(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 08 मार्च 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1973(अ) तारीख 21 मई 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "वर्धा – बल्लारशाह तिसरी लाईन" निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "आदि मानव" और "महा विदर्भ" में तारीख 04 जुलाई 2024 को" में तारीख को प्रकाशित किया गया था।

और, आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेशपारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड)की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले मे चंद्रपूर से नागरी सेक्शन के अंतर्गत गाव – चांदा रैय्यतवारी ता. जिल्हा. चंद्रपूर का उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, के अधीन विशेष रेल परियोजना “वर्धा – बल्लारशाह तिसरी लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

अ.क्र.	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)	शेरा
1	चांदा रैय्यतवारी	चंद्रपूर	भिवा लोंडू टिपले	454	1	1.90	0.49	कृषक
2	चांदा रैय्यतवारी	चंद्रपूर	त्रिदर्भ आगणिक केमिकल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट ली. नागपूर	450	1	8.86	1.25	अकृषक
					कुल	10.76 हे.आर	1.74 हे.आर	

[फा. सं. G197/2024/Wardha-Ballarshah 3rd line/Oct/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st October, 2024

S.O. 4627(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), numbers' 998(A) dated 08th March 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 21 May 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Wardha (Sewagram) – Ballarshah 3rd line” in the district of Chandrapur in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Aadi Manav” And “Maha Vidarbha” Dated 04th July 2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly order shave been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 20 E of the said act, the Central Government here by declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the afore said purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "Wardha- Ballarshah 3rd Line" in 1 village Chandrapur Nagri Section under Sub Divisional & Land Acquisition officer Chandrapur the district Chanrapur in the State of Maharashtra.

Sl. No.	Name of the village	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Survey No.	Land holding system	Total Area as on 7/12 (H.R.)	Acquisition Area (H.R.)	Remarks
1	Chanda Raitwari	Chandrapur	Bhiva Londu Tiple.	454	1	1.90	0.49	Agriculture
2	Chanda Raitwari	Chandrapur	Vidarbha Agonic chemical. Industrial Private Ltd.Nagpur	450	1	8.86	1.25	Non-Agriculture
				Total		10.76 HR	1.74 H R	

[F. No. G197/2024/Wardha-Ballarshah 3rd line/Oct/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)